सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिह जोधा)

राजस्व वाद सं. 237/2020
अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधि0

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दमाराम पुत्र उगराराम 2. मालाराम पुत्र उगराराम 3. हीरोदेवी पत्नी उगराराम 4. सिरूदेवी पत्नी मेघाराम 5. रामाराम पुत्र मेघाराम 6. धूडाराम पुत्र मेघाराम जाति–जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव		1. विशनाराम पुत्र सोनाराम 2. शेराराम पुत्र मानाराम 3. रेवन्ताराम पुत्र विशनाराम 4. रायमलराम पुत्र शेराराम 5. घमुराम पुत्र शेराराम 6. हुकमाराम पुत्र शेराराम 7. गोकलराम पुत्र शेराराम जाति–जाट, नि0 उचावडा काश्मीर तह0 शिव

दिनांक	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए
16/12/20	प्रार्थी के वकील श्री ब्रजमोहन कुमावत ने यह प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के वकील की बहस है कि प्रार्थी की कब्जाशुदा एवं निजी स्वामित्व का खेत खसरा नम्बर 82 रकबा 44.11 बीघा, मौजा उचावडा, तह0 शिव का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी के परिवार का वक्त सेटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी पर मौके पर प्रार्थी के रबी मे जीरे की फसल बोई हुई है तथा प्रार्थी के खेत के चारो तरफ छीणो के टुकडे सेढो पर गाड कर तारबंदी की हुई है। जिसको विप्रार्थीगण हटाते हुऐ जबरन प्रार्थी के उपरोक्त खेत में टेंक्टर व गाडियां डालकर नया रास्ता जबरन निकाल कर नुकसान पहुंचाने पर आमादा है। जिसका विप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है और अगर विप्रार्थीगण ऐसा करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थी को भविष्य मे न पुरी हो सकने वाली अपुरर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किसी भी किमत पर नहीं हो सकेगी। प्रार्थी के कब्जा काश्त में कोई दखलंदांजी या हस्तक्षेप न करे तथा विवादित आराजी के मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिर्वतन नही करें तथा प्रार्थी की खडी फसल खराब करने के आश्य से प्रार्थी के खेत के सेढा पर लगी तारबंदी व धोरा तोडकर जबरन टेक्टर व गाडिया डालने की कोशिश नही करे तथा वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निशेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरूद्व विप्रार्थीगण सादिर फरमाई जावें। "धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्व हो जाये कि:– (क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे मे उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्व किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (alienated) के खतरे में है, या	

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या ... शियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.26	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 13.03.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
13.3.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 16.3.26 को पेश हो।	
16.3.26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 30.3.26 को पेश हो।	
30.3.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 8.5.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
08.05.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय मे प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को रुक रुककर आवाजे दी जाने के बावजूद अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने से अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Scanned with OKEN Scanner